

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल, 2021

सा.का.नि.....(अ)- वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	101/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007, जिसे सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	57/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 30 मई, 2009, जिसे सा.का.नि. 371 (अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	50/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक

	भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।	“वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
5.	11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 के उक्त खंड”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
6.	13/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 71 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।	शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण प्रवृत्त विधि है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(फाइल संख्या 354/41/2021-टीआरयू)

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007, को सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 को सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 को सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, को सा.का.नि. संख्या 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
5. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, को सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 17 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 117 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
6. प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 71 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है ।